



Established by Ministry of Culture Govt. of Madhya Pradesh
Recognised by UGC under section 2(F) & 12(B)

Sanchi University of Buddhist-Indic Studies

साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

क्र. 161 / साँ.बौ.भा.ज्ञा.अ.वि.वि. / यांत्रिकी / 2022

दिनांक 20/01/2022

प्रति,

.....
.....

कोटेशन आमंत्रण

सर्व संबंधित प्रदायकर्ता को सूचित किया जाता है कि साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में उपयोग हेतु इलेक्ट्रॉनिक सामग्री क्रय किया जाना है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र. | सामग्री | संख्या | दर |
|------|--|--------|----|
| 1 | टीवी (स्मार्ट) सेमसंग/एलजी/सोनी - 43 इंच | 1 | |
| | टीवी (स्मार्ट) सेमसंग/एलजी/सोनी - 32 इंच | 1 | |
| 2 | रेफ्रीजरेटर सेमसंग/वर्ल्डपूल/एलजी/वीडियोकोन | 1 | |
| 3 | वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक (टॉप लोड) एल.जी./वर्ल्डपूल/सेमसंग/वीडियोकोन | 1 | |
| 4 | माइक्रोवेब ओवन 30 लीटर सेमसंग/वर्ल्डपूल/एलजी | 1 | |

इच्छुक निविदाकार/फर्म दिनांक 27/01/2022 समय 05:00 बजे तक अपने भावपत्र/कोटेशन कार्यालय के यांत्रिकी शाखा, साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, गेटवे रिट्रीट परिसर, साँची जिला रायसेन (म.प्र.) पर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। वांछित कार्य की जानकारी संलग्न है।

पात्रता :-

- निविदाकारों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना आवश्यक होगा :-
(अ) फर्म का पैन नम्बर, बैंक एकाउण्ट नम्बर (IFSC Code सहित)
(ब) ठेकेदारों/निविदाकार/प्रदायकर्ता को मध्यप्रदेश का वाणिज्य कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन होने का प्रमाण पत्र/जी.एस.टी नम्बर।

आवश्यक शर्त :-

- निविदा में प्रस्तुत दरें दो माह तक वैध होंगी।
- वर्तमान में प्रचलित प्रस्तावित कानूनों तथा भविष्य निधि संबंधी प्रावधानों का पालन करना ठेकेदार का दायित्व होगा।
- जी.एस.टी को छोड़कर शेष समस्त कर, उपकर, लेवी, फी, टोल इत्यादि के भुगतान का दायित्व निविदाकार का होगा, तथा यह माना जाएगा कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव में उपरोक्त राशि का भुगतान सम्मिलित है।
- जी.एस.टी नियमानुसार पृथक से देय होगा।
- सामग्री गुणवत्तापूर्ण व निर्धारित तकनीकी स्पेसिफिकेशन अनुसार होना चाहिये।
- सामग्री कार्यालय में अच्छी हालत में पहुँचाया जाना चाहिये, टूटी-फूटी अथवा क्षतिग्रस्त सामग्री स्वीकार नहीं की जावेगी।



Established by Ministry of Culture Govt. of Madhya Pradesh
Recognised by UGC under section 2(F) & 12(B)

Sanchi University of Buddhist-Indic Studies साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

-2-

7. उक्त सामग्री की संपूर्ण मात्रा प्राप्त हो जाने पर परीक्षण उपरांत ही देयक का भुगतान किया जावेगा।
8. उपरोक्त समस्त शर्तों में संशय अथवा विवाद होने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। अतः उक्त कार्य का संपादन 07 दिवस में कार्यादेश/दर स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर किया जाना है।
9. दर स्वीकृति के समय यह माना गया है कि वस्तु एवं सेवा कर के अतिरिक्त अन्य समस्त कर एवं गैर कर लागत दरों में समाहित हैं।
10. कार्य में प्रयुक्त गुणवत्तापूर्ण, निर्धारित तकनीकी स्पेसिफिकेशन/निर्धारित ब्रांड/मानक की सामग्री/उपकरण का उपयोग/प्रदाय किया जावे। सामग्री का नियमानुसार नमूना परीक्षण अधिकृत लैब/समिति से आवश्यकतानुसार कराया जा सकेगा।
11. प्राक्कलन में सम्मिलित समस्त उपकरण/सामग्री के कार्य की साइट तक उचित पैकिंग में परिवहन एवं संस्थापन का दायित्व आपका है। इस श्रेणी की सामग्री मय वारंटी/चालान तीन प्रतियों में संबंधी दस्तावेज सहित प्रभारी अधिकारी यांत्रिकी को सौंपी जावे। उक्त सत्यापित चालान की एक नग मूल प्रति कार्यालय में देयक के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
12. दर संबंधी कोटेशन कुलसचिव, साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय साँची को प्रेषित किया जावे।
13. सामग्री का चल/अंतिम देयक का प्रमाणन/सत्यापन सामग्री के आधार पर सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार भुगतान किया जावेगा।
14. निर्धारित समय सीमा कार्य/सामग्री का प्रदाय पूर्ण न होने पर समय विस्तार का अनुरोध करना आवश्यक है। समय विस्तार पर नियमानुसार निर्णय लिया जावेगा।
15. समय विस्तार का अनुरोध स्वीकृत न होने/समय विस्तार का अनुरोध प्राप्त न होने एवं समय पर कार्य पूर्ण न होने पर प्रति सप्ताह के मान से दंड अधिरोपित किया जावेगा।
16. गुणवत्ता पूर्ण/निर्धारित मानक अनुसार कार्य/सामग्री प्रदाय न होने के दशा में फर्म पर दंड अधिरोपित कर निर्धारित समय सीमा हेतु काली सूची में दर्ज किया जावेगा।
17. सामग्री प्रदाय पश्चात मूल चालान सहित देयक तीन प्रतियों में कुलसचिव, साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, साँची के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
18. देयक में से नियमानुसार स्रोत कर इत्यादि की कटौती की जावेगी।


कुलसचिव

*सां.बौ.भा.ज्ञा.अ.वि.वि., साँची (रायसेन)